सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 161/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

पुत्र बालू जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर

––––प्रार्थी

♠बनाम♠

1. शकीना पत्नि श्री छोटू खां
2. बाबू खां पुत्र छोटू खां
3. बंशी खा पुत्र छोटू खां
4. कालू खां पुत्र छोटू खां
5. शोकिन खां पुत्र छोटू खां समस्त पिनारा निवासी गण कुहाडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तह.केकडी जिला अजमेर

–––––अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा प्रार्थी
2. श्री कमलेश शर्मा अप्रार्थी
3. पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :9.5.18

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता नम्बर 745 एंव 1078 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 4670 रकबा 1.40है. किस्म बा.2 एवं खसरा नम्बर 4671 रकबा 1.06 है. किस्म बा.2 वाके ग्रामजूनिया में स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थी के अलावा किसी का भी हक हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फुट चौडा है। जो खसरा नम्बर 4587 रकबा 0.97 है. किस्म बा. 3 खसरा नम्बर 4669 रकबा 1.13 है. किस्म बा. 2 में स्थित है। उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज हे। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.9.2017 को आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न की गई , आये दिन लडाई झगडे पर उतारू हो जाते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु 1 लगायत 5 को पाबन्द किया जावें उक्त खसरा नम्बर 4587 व 4669 में स्थित कदीमी रास्ते को अवरूद्व नहीं करें एवं कोई बाधा उत्पन्न न करें। वाद वर्णित आराजी में आने जाने का बैलगाडी , ट्रेक्टर , ट्रोली कृषि उपज लाने ले जाने हेतु आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता 20 फुट चैाडा जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4587 व 4669 को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में भी रास्ता तरमीम किये जाने का निवेदन किया है। यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण की 2व 5 की और से अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा ने पावर पेश किया । रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के पेश की है जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विवरण निम्न प्रकार है–

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने ग्राम जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता नम्बर 745 एंव 1078 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 4670 रकबा 1.40है. किस्म बा.2 एवं खसरा नम्बर 4671 रकबा 1.06 है. किस्म बा.2 वाके ग्रामजूनिया में स्थित है। वादग्रस्त आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फुट चौडा है। जो खसरा नम्बर 4587 रकबा 0.97 है. किस्म बा. 3 खसरा नम्बर 4669 रकबा 1.13 है. किस्म बा. 2 में स्थित है। अतः उक्त भूमि रास्ता बाबत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य बनता है।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने उनके द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पेश की है ग्राम जूनियां के खसरानम्बर 4670रकबा 1.40 , 4671 रकबा 1.06 किता 2 कुल रकबा 2.46 है. प्रार्थी महावीर पुत्र बालू कौम माली निवासी जूनियां की खातेदारी में दर्ज है। तथा ग्राम जूनियाके खसरा नम्बर 4669/1.13 अप्रार्थीगण शकीना पत्नि छोटूखा ,बाबूख,बंशीखां कालूखां शोकिन खां पहलवान पि.छोटू खां कोम पिनारा निवासी कुहाडा की खातेदारी में दर्ज है। ग्रामवासीयों एवं पडोसियों एव स्वयं प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी महावीर पि. बालू माली अपने खातेदारी आराजी न. 4670 व 4671 पर खसरा नम्बर 4591 किस्म गै.मु. रास्ता से अप्राथ्रीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 4669 की पश्चिमी मेड के सहारे वर्षो से करीब 40 वर्ष से आ रहे है। जिसे नक्शा शीट में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी के खातदेरी खसरानम्बर 4670 व 4671 पर आने जाने के लिये अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 4669 की पश्चिमी मेड के सहारे कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त वैकल्पिक रास्ता को अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 4669 के उत्तरी पश्चिमी होने पर डोलडालकर मौके पर वर्तमान में बन्द कर दिया है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खसरा नम्बर 4670 व 4671 पर आने जाने के लिये सिवायचक रास्ता खसरा नम्बर 4691 से अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 4669 के पश्चिमी मेड के सहारे की निकटतम दूरी पर पडता है। जिसे लालस्याही से दर्शाया गया है। इस कारण उक्त ख.न. 4670 व 4671 पर आने जाने के लिये ,खसरा नम्बर 4669 रकबा 1.13 किस्म बारानी 2 मेंसे पश्चिमी मेड के सहारे 77 X 6.5=500 वर्गमीटर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत नवीन रास्ता को प्रस्तावित किया गया।जिसे लाल स्याही से दर्शित किया गया। खसरा नम्बर 4669/1.13 अप्रार्थीगण शकीना पत्नि छोटू बाबूखां की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी में आने–जाने हेतु सिवायचक खसरा नम्बर में से रास्ता चाहा गया है। चूंकि प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रेमाफेसाई केस बनता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का ग्राम जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर के सिवायचक खसरा नम्बर 4669 रकबा 0.13 है. जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी है में से पश्चिमी मेड के सहारे 77 X 6.5=500 वर्गमीटर क्षेत्रफल का रास्ता दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार निर्णय की पालना में राशि जमा राजकोष कर वर्तमान नक्शे में रास्ते की तरमीम कर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निण ्य आज दिनांक 9.5.2018को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

नोट :– प्रकरण में इस निर्णय के अन्तिम पेरा में लिखा हाल खसरा नम्बर 4669 रकबा 0.13 के स्थान पर अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 4669 रकबा 0.13 के स्थान पर 1.13 हैक्टर पढा जाकर निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी